www.cbi.gov.in

केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो
सूचना अनुभाग
5-बी, सी.जी.ओ. कॉम्पलैक्स लोधी रोड,
नई दिल्ली, 110003

प्रेस विज्ञप्ति
नई दिल्ली, 02.01.2017

**सीबीआई ने दो बैंक कर्मियों ; प्राइवेट व्यक्तियों एवं अन्यों के विरूद्ध दो अलग-अलग मामले दर्ज किए तथा 13 स्थानों पर तलाशी की**

सीबीआई ने बैंक ऑफ इण्डिया, घोड्डोडा रोड शाखा, सूरत (गुजरात) में कार्यरत शाखा प्रबन्धक व तत्कालीन वरिष्ठ प्रबन्धक ; सूरत की प्राइवेट फर्म के मालिक व अन्यों तथा अज्ञात अन्यों के विरूद्ध मामला दर्ज किया। दुसरा मामला, सूरत की प्राइवेट फर्म के मालिक एवं अन्य एवं सूरत पीपल्स को-ऑप बैंक, मुख्य शाखा, सूरत के अज्ञात कर्मियों के विरूद्ध दर्ज हुआ।

पहले मामले में, ऐसा आरोप था कि आरोपी आपराधिक षड़यंत्र में शामिल हुआ एवं सूरत की एक फर्म के बैंक खाते को खोलने में जालसाजी की और सूरत की प्राइवेट फर्म के मालिक के द्वारा दिनांक 08.11.2016 के बाद उक्त खाते में 24.35 करोड. रू. (लगभग) की नकद राशि जमा की। एक अन्य मामले में, ऐसा आरोप था कि आरोपी ने एक प्राइवेट फर्म के बैंक खाते को खोलने में ज़ालसाजी की और सूरत की प्राइवेट फर्म के मालिक के द्वारा दिनांक 08.11.2016 के बाद उक्त खाते में 36.17 करोड़ रू. (लगभग) की नकद राशि जमा की। ऐसा आगे आरोप है कि दोनो मामलों में, जमा की गई नकद राशियॉं आर.टी.जी.एस. स्थानान्तरण के माध्यम से सह-आरोपी के खातों में आगे स्थानात्तरित की गई।

आज, दोनो मामलों में सूरत सहित 13 स्थानों पर तलाशी की गई।

आगे की जॉंच जारी है।

********